रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1752] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931
No. 1752] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2714(अ).—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण और मानिटरिंग) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण और मानिटरिंग) नियम, 1995 के (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 6 के पश्चात् उपनियम 6.2 के निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6.3 स्थापना जल संवर्धित उत्पादों को केवल भारतीय तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सीएएआई)/पदनामित प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत फर्म से ही उपाप्त करेंगी और उनकी मानिटरिंग, सक्षम प्राधिकारी की निगरानी के अधीन की जाएगी ।"

3. उक्त मूल नियम के उपाबंध-VII के पश्चात् उपखंड 1.2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. ताजी, प्रसंस्कृत, प्रशीतित या शीतित पैकेज और पैक किया हुआ जल कृषि मछली तथा मछली उत्पाद उसी फर्म से उपाप्त करेंगे जिसे भारत के तटीय जल कृषि प्राधिकरण/पदनामित प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिया गया हो ।"

[फा. सं. 2/19/2009-ईआई एण्ड ईपी]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण सं. का.आ. 730(अ) भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किये गये और पश्चातवर्ती संशोधन : का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल 2002, का.आ. 1029(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2002 का.आ. 1034(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2003, का.आ. 717 तारीख 25 फरवरी, 2005 का.आ. 612 तारीख 15 फरवरी, 2007 और का.आ. 1519(अ) 16 जून 2008 के द्वारा किये गये ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2009

S.O. 2714(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection)

Act, 1963(22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen, and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995 :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control Inspection and Monitoring) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 6 after sub-rule 6.2 the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"'6.3 . The establishments shall procure aquaculture products only from farms registered with Coastal Aquaculture Authority of India (CAAI) / Designated Authorities and monitored under the surveillance of Competent Authority:"

3. In the said principal rules, in Annexure - VII, after sub-clause 1.2, the following clause shall be inserted namely:—

"2. The packages of Fresh, Processed, Frozen or chilled and packed Aquacultured Fish and Fishery products shall bear the registration number allotted by Coastal Aquaculture Authority of India/Designated Authorities to the farm from which the aquaculture products are procured."

[F. No. 2/19/2009-EI & EP]

BHARATHI. S. SIHAG, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification Number S. O. 730 (E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide notification number S. O. 415(E) dated 11th April 2002, S. O. 1029 (E) dated 24th Septemher, 2002, S.O. 1034 (E) dated 9th Septemher, 2003, S.O. 717 dated 25th February, 2005, S.O. 612 dated 15th February, 2007, S.O. 1519 (E) dated 16th June, 2008.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.